



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276395
CG-DL-E-22092026-276395

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5006]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5006]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5212(अ).— अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 (2026 का 17) की धारा 24 की उप-धारा (2) (घ) के साथ पठित अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (ग) और नियम 10 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि कार्य विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-18/57/2026-ज्यूडीशियल/ई.195818 दिनांक 27 अगस्त, 2026 के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा सुश्री मीरा स्वरूप, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य के रूप में 09.09.2026 से 09.03.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एक और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. 3/3/2019-आरई]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5212(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (d) of section 24 of the Tribunals Reforms Act, 2026 (17 of 2026) read with clause (c) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 10 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021 and in pursuance of Office Memorandum of the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice number J-18/57/2026-JUDICIAL/E. 195818 dated the 27th August, 2026, the Central Government hereby extends the tenure of Ms. Meera Swarup, IA&AS (Retd.), as Technical Member of the Securities Appellate Tribunal for a further period from 09.09.2026 to 09.03.2027, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 3/3/2019-RE]

DR. ALOK TIWARI, Jt. Secy.